(12)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम. गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी-2249-एक/15 विरुद्ध आदेश दिनांक 24.09.2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर प्रकरण क्रमांक 233/बी-121/2003-04

भुमानीबाई पत्नी हीरालाल यादव
निवासी बार तह0 व जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) .....**आवेदक**

विरुद्ध

म0प्र0 शासन .....**अनावेदक**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा
अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी

आदेश
(आज दिनांक..07/03/2016.....को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर प्रकरण क्रमांक 233/बी-121/2003-04 में पारित आदेश दिनांक 24.09.2013 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम बार में स्थित भूमि खसरा नं. 304/1 रकवा 1.00 हे. का व्यवस्थापन दखल रहित अधिनियम 1984 के तहत किए जाने हेतु आवेदिका द्वारा नायब तहसीलदार बल्देवगढ़ के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर नायब तहसीलदार द्वारा कार्यवाही कर अपने आदेश दिनांक 02.09.1998 द्वारा भूमि का व्यवस्थापन आवेदिका के नाम से स्वीकर किया गया। इस प्रकरण को स्वप्रेरणा में लिए जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ द्वारा एक प्रतिवेदन

अपर कलेक्टर टीकमगढ़ को भेजा गया जिस पर अपर कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्रकरण स्वप्रेरणा निगरानी में लेकर दिनांक 31.12.2003 को आदेश पारित करते हुए व्यवस्थापन निरस्त कर दिया गया। जिसके विरुद्ध अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष निगरानी पेश की गई। जो उन्होंने अपने आदेश दिनांक 24.09.2013 द्वारा निरस्त की। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदिका की ओर विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि सन् 1984 से आवेदिका के पति का कब्जा खसरे में दर्ज है फिर भी अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ ने प्रकरण में बिना अभिलेखों का अवलोकन किये बिना तथा बिना साक्ष्य को देखे आदेश पारित कर आवेदिका का व्यवस्थापन निरस्त करने में गंभीर भूल की गई है।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अपर आयुक्त सागर संभाग सागर ने अपने आदेश में कहा है कि आवेदिका भूमिहीन नहीं है इसलिए उसे पट्टा प्राप्ति की पात्रता नहीं जबकि वास्तविकता यह है कि आवेदिका के पति के परिवार में 5 भाई एवं 2 बहनें हैं। इसलिए आवेदिका के पति हीरालाल के पिता के नाम जो भूमि 3.322 हे. दर्शाई गई है उसके बराबर हिस्से करने पर आवेदिका भूमिहीन की श्रेणी में आती है। अत: अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्ती योग्य है।

4. अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

5. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया एवं आलोच्य आदेश का परिशीलन किया गया। अभिलेख को देखने से यह पाया जाता है कि नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 02.09.1998 को प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन आवेदिका के पक्ष में किया गया था। उक्त व्यवस्थापन आदेश में त्रुटियां पाई जाने के कारण अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 31.12.2003 द्वारा नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त किया। अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत निगरानी में अपर आयुक्त ने अपने आदेश में अभिलेख के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रश्नाधीन भूमि पर 02.10.1984 को आवेदिका के पिता का कब्जा खसरे में

अंकित था। आवेदिका के पति का कब्जा वर्ष 1987-88 से खसरे में दर्ज है। आवेदिका का कब्जा वर्ष 1984 के खसरे में इन्द्राज नहीं है। उन्होंने यह भी पाया है कि आवेदिका द्वारा ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है कि 02.10.1984 के पूर्व उसका कब्जा विवादित भूमि पर दर्ज था। उक्त आधारों पर अपर आयुक्त ने अपर कलेक्टर के आदेश की पुष्टि की गई है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त का आदेश उचित एवं न्यायिक है और उसमें ऐसी कोई विधिक त्रुटि नहीं है जिस कारण हस्तक्षेप आवश्यक हो।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर